

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 - 258/2019

1. मनदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46आरबी'ए' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

-वादी -

बनाम

1. धरमी पत्नि गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46आरबी'ए' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरमीत सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 46आरबी'ए' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. त्रिलोचन सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46आरबी'ए' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. रणवीर कौर पुत्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46आरबी'ए' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

- प्रतिवादीगण-

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

-निर्णय-

दिनांक : 17/1/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पदमपुर तहसील के चक 46 आरबी ए की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं0 40/33 के मुरबा नं0 42 में 3.162 है0 नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम 0.548 है0 नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड हैं प्रतिवादी सं0 1 के तीन वारिस हैं। जिसमें में वादी व प्रतिवादी सं0 3 व 4 है, प्रतिवादी सं0 4 की शादी कर दी हैं, शादी के समय दान-दहेज के रूप में स्त्रीधन दे दिया है। इसलिए प्रतिवादी सं0 4 उक्त वादाधीन भूमि में से अपना हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा हुआ है और उसी घरेलू बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 अपनी-अपनी भूमि पर काबिज है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम कृषि भूमि है। लेकिन मुझ वादी के नाम कोई कृषि भूमि नहीं है इसलिए मैं वादी घरेलू बंटवारा में आई भूमि अनुसार भूमि अपने नाम करवाना चाहता हूँ। घरेलू बंटवारा अनुसार मुझ वादी को चक 46 आरबी ए की भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम है प्राप्त हुई है और इसी भूमि का मैं खातेदार

सुभाष कुमार  
उपखण्ड अधिकारी  
पदमपुर (राज0)

मालिक घोषित होने का अधिकारी हूँ और इसी की घोषणा करवाना चाहता हूँ। आज से कुछ दिन पूर्व जब मैंने प्रतिवादीगण को भूमि अपने नाम करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ताल मटोल करते रहे और आज से कुछ दिन पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये। जो कि यही वाद का कारण है। वादाधीन भूमि हिन्दु खान-दान की जग्दी जायदाद है जिस पर गेश जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है इसलिए मैं अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने का हकदार हूँ। इसलिए प्रथम दृष्टया वाद मुझ वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से लिखी फरमाया जायें। पदमपुर तहसील के चक 46 आरबी ए की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं० 40/33 के मुरबा नं० 42 में 3.162 है० नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम 0.548 है० नहरी समस्त भूमि का मुझ वादी को खातेदार मालिक घोषित किया जायें व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल भिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनवान प्रकरण में वादी की ओर से पेश वाद पत्र को राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, राजीनामा अनुसार पदमपुर तहसील के चक 46 आरबी ए की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं० 40/33 के मुरबा नं० 42 में 3.162 है० नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 के नाम 0.548 है० नहरी भूमि को वादी के नाम कर दिया जाता है तो हमें कोई उजर व एतराज नहीं है। राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जाता है तो हमें कोई उजर व एतराज नहीं हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील पदमपुर के चक 46 आरबी ए की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं० 40/33 के मुरबा नं० 42 में 3.162 है० नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 धरमी पत्नि गुरमीत सिंह जाति जटसिख के नाम 0.548 है० नहरी भूमि का वादी मनदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे।

(सुभाष कुमार)  
अपक्ष अधिकारी  
पदमपुर (राज०)

19/00002/79/17	2017	04/02/2020	दवा	दिनेसी प्य...
			दवा	राजस्थान क 1955

खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(सुभाष कुमार)  
(सुभाष कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
पदमपुर  
(पदमपुर, राज०)

